आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) बिल 2020 -

"खाद्य जमाखोरी (कंपनियों के लिए स्वतंत्रता) विधेयक **2020"**[1]

आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020 को पारित किया गया है ।

<u>सरकार का तर्क:</u> संशोधन के पक्ष में तथाकथित कारण यह है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल निकलने के बाद के कृषि के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश, निश्चित वातावरण उपलब्ध होने के कारण आकर्षित होगा क्योंकि ECA1955 के अंतर्गत जारी तदर्थ आदेश ऐसा वातावरण उपलब्ध नहीं करा रहे थे।

<u>विधेयक करता क्या है?:</u> आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, सभी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति से, सिर्फ "असाधारण परिस्थितियों" को छोड़कर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के नियंत्रण को हटा देता है। असाधारण परिस्थितियों के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि की सीमा इतनी अधिक रखी गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के लागू होने की संभावना ही नहीं है। यदि किन्हीं कारणों से आवश्यक वस्तुओं का मूल्य, सीमा तक पहुंच भी जाएं तो अदानी जैसी बड़ी कंपनियों पर यह नियमन फिर भी लागू नहीं होगा और उन को किसी भी स्टॉक सीमा से छूट रहेगी । (विवरण नीचे है)

<u>इस में किसानों के लिए क्या है?</u>

- प्रस्तावना कहती है कि इस विधेयक का उद्देश्य "किसानों की आय बढ़ाना है", लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम कभी भी किसानों पर लागू ही नहीं होता था। किसानों या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर पहले से ही ईसीए (ECA) के तहत उत्पाद को बेचने और जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- यह प्रतिबंध कृषि व्यापार में लगी कंपनियों और व्यापारियों पर था। अब, सभी खाद्य वस्तुओं से ये प्रतिबंध हटाए जा रहे है जिससे यह विधेयक उन्हें (कृषि व्यापार में लगी कंपनियों और व्यापारियों) को किसी भी मात्रा में खरीदने और भंडारण करने की छूट देता है, इसलिए जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, इसे "खाद्य जमाखोरी (कंपनियों के लिए स्वतंत्रता) विधेयक" कहा जाना चाहिए।

---

[1] यह इस विधेयक का असली प्रभाव होने जा रहा है। इस लिए यह इस का सही नाम है।

- अडानी-विलमार, रिलायंस इत्यादि जैसी बड़ी कंपनियों को अब किसी भी मात्रा में खाद्य वस्तुओं को स्टॉक करने की स्वतंत्रता होगी (यह स्वतंत्रता अब तक केवल किसानों और एफपीओ को थी)। वे बड़ी भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करेंगे और कृषि बाजार पर अपना पूर्ण वर्चस्व कायम कर लेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि वे अब किसानों से अपनी शर्तों पर सौदा करेंगे - जिससे किसानों को कम कीमत मिलने की संभावना है, ना कि अधिक आय।
- यह साबित हो चुका है कि जब भी खुदरा बाजार में मूल्य वृद्धि होती है तो वो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। लेकिन जब भी कीमतें गिरती हैं, तो नुकसान किसानों का होता है।
- उदाहरण के लिए, अडानी-विलमार बड़ी मात्रा में तेलों और दालों का आयात अफ्रीका सहित दूसरे देशों में अपने भण्डारों से करते हैं। अडानी-विलमार बांग्लादेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 35 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहे हैं। चूंकि इस विधेयक के पास होने के बाद भारत में जमाखोरी की कोई सीमा नहीं होगी, अतः अडानी द्वारा विदेशों में उनके कारोबार से बड़े पैमाने पर आयात भारतीय बाजार पर हावी हो सकते हैं।

सरकार जानबूझ कर सबसे उपेक्षित लोगों के हितों को हाशिये पर रखकर जमाखोरों और बड़े कारोबारियों के लिए अपने नियंत्रण में कटौती कर रही है:

किसानों के लिए नहीं, अपितु बड़े कृषि/खाद्य कारोबारियों के लिए

बड़े कृषि व्यापारियों के लिए

- स्टॉक सीमा हटाना, प्रतिबंध हटाना

- बड़ी भंडारण श्रृंखला को बढ़ावा होने के कारण, आपूर्ति और बाजार पर वर्चस्व

- दूसरे देशों में उत्पादन सुविधाओं और जमीन के स्वामित्व वाले अडानी जैसे आयातकों और कंपनियों के लिए बड़े दरवाजे खुलते हैं।

किसानों के लिए

- इस अधिनियम के कारण कोई अतिरिक्त स्वतंत्रता नहीं

- उनके अपनी उपज रोकने की क्षमता (भंडारण और वित्त) में कोई बदलाव नहीं

- बड़े कृषि व्यापारियों के मुकाबले एफपीओ की मोलभाव की क्षमता को कम करता है
- बाजार पर बड़े कृषि व्यापारियों के वर्चस्व के चलते किसान के उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं
- सरकार से किसानों की भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता बनाने और बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह सब कुछ बड़े कृषि व्यापारियों के भरोसे होगा।

- अब से पहले ECA के तहत सरकार के पास कई नियामक (नियंत्रक) उपाय हुआ करते थे जैसे कि - लाइसेंस, मूल्य नियंत्रण, अनिवार्य लाइसेंसिंग, स्टॉकिंग, सूचना संग्रह के लिए उत्पादन निरीक्षण रिकॉर्ड, परिसर में प्रवेश / पड़ताल और जब्ती आदि।अब इन सभी को ख़त्म कर दिया गया है।
- अब, खाद्य सामग्री की आपूर्ति विनियमन के तहत केवल 'असाधारण परिस्थितियों' : जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, गंभीर प्राकृतिक आपदा के तहत और वो भी एक निश्चित मूल्य वृद्धि के बाद ही - यदि बागवानी उत्पादन के खुदरा मूल्य में 100% वृद्धि होती है अथवा खराब न होने वाले खाद्य सामग्री के खुदरा मूल्य में 50% वृद्धि होने पर ही, स्टॉक सीमा को नियंत्रित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इस की गणना कैसे होगी, कीमतों के आंकड़ों का संग्रह कैसे होगा, कैसे 'पिछले 12 महीने की कीमत या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य" का निर्धारण होगा।
- खाद्य सामग्रियों के इस सीमित नियंत्रण से भी छूट के प्रावधान हैं। अपनी प्रस्थापित प्रसंस्करण क्षमता या निर्यात की मांग के अनुरूप भण्डारण करने पर किसी भी किस्म की रोक नहीं होगी। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि निर्यात मांग की जांच और पुष्टि कैसे की जाएगी विशेष तौर से अगर मांग के झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएँ।
- देश में अलग-अलग खाद्य सामग्री के भंडार नीति निर्धारकों के लिए अदृश्य हो जायेंगे। यह बहुत चिंता जनक है। अब पंजीकृत और निजी गोदामों पर अलग-अलग नियम लागू होंगे। जब सरकार के पास खाद्य भंडार की जानकारी ही नहीं होगी, कहाँ, किस वस्तु की कितनी मात्रा उपलब्ध है जब यह जानकारी ही उपलब्ध नहीं होगी, तो व्यापार और खाद्य समर्थन नीतियों को कैसे लागू किया जा सकेगा?

सरकार को वास्तव में क्या करना चाहिए:

• उद्देश्य को स्पष्ट और पारदर्शी रूप से बताएं कि यह फसल कटाई के बाद भारत में खाद्य श्रृंखला के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के बारे में है- ना कि किसानों की आय बढ़ाने के बारे में।

• जिन असामान्य परिस्थितियों में नियमन संभव होगा उन को केवल चार सूचीबद्ध परिस्थितियों तक सीमित न कर के उन का दायरा बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से यह सुनिश्चित हो कि किसी भी खरीदार के गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार को भी एक असामान्य परिस्थिति माना जाए। इसी प्रक्रार "अनुचित और असामान्य जमाखोरी" को भी एक असामान्य परिस्थिति माना जाना चाहिए! ऐसे मामलों में राज्य अपने नियामक दायित्व का त्याग कैसे कर सकता है?

• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार को नियमन के विभिन्न उपाय उपलब्ध होने चाहिए (कीमत नियंत्रण, अनिवार्य बिक्री, वस्तुओं के आवागमन पर नियंत्रण, कुछ तरह के वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन आदि का नियमन) और यह केवल भंडारण सीमा निर्धारण तक सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा करना सबसे कमजोर नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

• सुनिश्चित करें कि नियमन को लागू करने के लिए मूल्य वृद्धि की स्तर ऊँचे न हों एवं ये निश्चित इलाकों तक सीमित हों ताकि वे वास्तव में अपने उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हों।

• सुनिश्चित करे कि किसी भी स्थान पर उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर नियामक शक्तियां में अंतर हो ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर मैपिंग या कुछ इस तरह के आंकलन के आधार पर उपयुक्त उपाय लागू किये जा सकें।

• सुनिश्चित करें कि विनियामक प्राधिकरण को पर्याप्त सूचना प्राप्त हो। इस के लिए अनिवार्य रूप से अभिलेखों का रख-रखाव और उसे सरकार कोऑनलाइन या ऑफलाइन रूप में देना शामिल होना चाहिए ताकि विशेष रूप से पूरे देश में खाद्य सामग्री की तात्कालिक वास्तविक भंडारण की स्थिति की जानकारी उपलब्ध हो ।